ायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

ा–पत्र संख्या :–132 / 2019 दायर दिनांक: 22.08.2019

CMS NO:- 2019/00428

ासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. घासी आ0 बालू जाति रेगर निवासी देई तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
2. रामनाथ आ0 गोरधन जाति रेगर निवासी देई तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

—प्रत्यार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 26.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम देई तहसील नैनवां में प्रार्थी संख्या 1 की खाता संख्या 288 की खसरा संख्या 40 / 4174 / 16–13, खाता संख्या 289 की खसरा संख्या 40 / 4386 / 04–10 भूमियां तथा प्रार्थी संख्या 2 की खाता संख्या 1116 की खसरा संख्या 40 / 4175 / 17–00 भूमि हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमि में काश्त करने के लिए रास्ता ग्राम खसरा संख्या 45 के बीच में होकर निकली हुई सडक पर से पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ निकला हुआ है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से होकर अपनी भूमि पर आते जाते है व ट्रेक्टर ट्रोली कृषि उपज लाते ले जाते है। अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की व कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए नक्शा परिशिष्ट में दर्शाये गये स्थान पर 12 फूट चौडा रास्ता राजस्व नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड में तथा मौके पर कायम करवायें। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट क,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र, आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र में रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा रास्ता चारागाह भूमि खसरा संख्या 45 में से होकर चाहा गया है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नही है। रास्ते के उपयोग में खसरा संख्या 45 चारागाह की 112 X 2 गठ्ठा कुल 230 वर्ग गठ्ठा 0.0844 हैक्टेयर भूमि आयेगी। जिसके एवजी चारागाह हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा न0 45 / 4387 रकबा 06 बिस्वा तथा खसरा संख्या 45 / 4176 रकबा 06 बिस्वा भूमि दिया जाना उचित होगा। प्रस्तावित रास्ता नक्शा परिशिष्ट में लाल डोटेड लाइन से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट देई में आज पेश हुई। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना [illegible] है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब / रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा [illegible] अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। अतः ग्राम देई पटवार हल्का देई त[illegible]45 किस्म चारागाह में से होते हुए 112 X 2 गठ्ठा कुल 230 वर्ग गठ्ठा 0.0844 [illegible] रिकार्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। एवजी चारागाह हेतु प्रस्तावित भूमि [illegible] सरा न0 45 / 4387 र[illegible] बिस्वा तथा

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram

Date: 2022.01.21 15:48:13 IST

Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

नैनवां (बून्दी)

Reader/Decesion/2021

Scanned with CamScanner

संख्या 45/4176 रकबा 06 बिस्वा भूमि चारागाह दर्ज करने हेतु प्रस्ताव वास्ते अनुमोदन श्रीमान कलक्टर महोदय बून्दी को प्रेषित किया जावे। परिशिष्ट "क" में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शाया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उतनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी के अनुमोदन के बाद नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जाकर मौके पर रास्ता बहाल किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:48:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner